रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2018/वैशाख 21, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 520
No. 106]	DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2018/VAISAKHA 21, 1940	[N.C.T.D. No. 520

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2018

सं. फा. 15/ए/आरएसबी/2004 (भाग)/55.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल वीरता पुरस्कार विजेता नियमावली, 2016 में नकद पुरस्कार प्रदान करने हेतु संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त भीर्शक एवं प्रारंभः**

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वीरता पुरस्कार विजेताओं हेतु नकद पुरस्कार प्रदानार्थ (संशोधन) नियमावली, 2018 कहा जायेगा।

(ii) ये 01 जनवरी, 2008 से लागू समझे जायेंगे।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदानार्थ नियमावली, 2016 के नियम 11 के खंड (i) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

''सिविलियन'' का अर्थ है दिल्ली में निवास करने वाला और वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति या किसी सशस्त्र सेवा की सक्रिय सेवारत युनिट में सिविलियन हैशियत से सेवारत हो और वीरता पुरस्कार प्राप्त करता हो और जो राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वैध नागरिक हो जो युनिट में उसके नामांकन के समय दिये गए पते के अनुसार हो।

3. उक्त नियमावली के नियम V के खंड (क) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''वीरता पुरस्कार विजेता को सेवारत/भूतपूर्व सैनिक अथवा सशस्त्र सेना की सक्रिय युनिट में सेवारत सिविलियन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी सिविलियन होना चाहिए।''

4. उक्त नियमावली के नियम VI के खंड (क) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''आवेदन फार्म आवेदक द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार भरा जाएगा। तथापि सशस्त्र सेवाबल की सक्रिय युनिट में सेवारत सिविलियनों को छोड़कर सिविलियन अवार्ड विजेताओं के लिए संभाग आयुक्त कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक आवेदन जमा किया जायेगा जिसके साथ अवार्ड के साइटेशन की प्रतियां, दिल्ली में पुरस्कार विजेता के निवास का सबूत, आवेदक के दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा जीवित सदस्य का प्रमाण पत्र होना चाहिए।''

5. उक्त नियमावली के नियम (X) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''नागरिक वीरता पुरस्कार विजेता का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के डिविजनल आयुक्त कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा तथा अन्य व्यक्तियों के मामले में राज्य सैनिक बोर्ड, दिल्ली में जमा किया जायेगा। जांच के बाद इन आवेदनों को स्वीकृति हेतु प्रबंधक समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक मामले का समुचित रिकार्ड/रजिस्टर बनाया जायेगा।''

6. उक्त नियमावली के नियम XI के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''प्रबंधक समिति द्वारा स्वीकृत धनराशि का भुगतान दावाकर्ता को चैक से किया जायेगा। सभी चैकों को या तो डाक द्वारा भेजा जायेगा या दावाकर्ता/अवार्ड पाने वाले व्यक्ति को दिया जायेगा। वितरित किए गए सभी चैकों को रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा जिसका अनुरक्षण राज्य सैनिक बोर्ड या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय करेगा तथा समय–समय पर निरीक्षण के लिए प्रबंध समिति के पास प्रस्तुत करेगा।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पी. आर. कौशिक, उप–सचिव (राजस्व)

नोट : मूल नियमावली दिनांक 06.07.2016 के अधिसूचना सं. फा. 15/ए/आरएसबी/2004(पार्ट)/0442 के अनुसार प्रकाशित हुई।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2018

No. F. 15/A/RSB/2004(Part)/55.—The Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Grant of Cash Awards to Gallantry Award Winners Rules, 2016 namely:

1. Short title and commencement

(i) These rules may be called the NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI GRANT OF CASH AWARD TO GALLANTRY AWARD WINNERS (AMENDMENT) RULES, 2018.

(iii) They shall be deemed to have come into force on 1st January 2008.

2 In the National Capital Territory of Delhi Grant of Cash Award to Gallantry Award winners rules, 2016 for clause (i) of rule II, the following shall be substituted namely:-

"Civilian" means any person residing in Delhi and getting the Gallantry Awards or any person serving with any of the active serving unit of Armed Forces in a civilian capacity and getting the Gallantry Awards and who is a bonafide resident of the National Capital Territory of Delhi as per the address given by him at the time of his enrolment in the Unit.

3. For clause (a) of rule V of the said rules, the following shall be substituted namely:-

"The Gallantry Award Winner should be a serving person/Ex-servicemen person or civilian serving in the active unit of Armed Forces or any civilian resident of National Capital Territory of Delhi".

4. For clause (a) of rule VI of the said rules, the following shall be substituted namely:-

"The application form will have to be duly filled by the applicants as per the Annexed format. However, for Civilian Award Winners other than the civilians serving in active unit of armed forces, an application may be submitted to the office of the Divisional Commissioner, National Capital Territory of Delhi along with copies of citation of award, proof of resident of Delhi of the award winner, two passport size photographs of the applicant and surviving members certificate".

5. For rule (X) of the said rules, the following shall be substituted namely :-

"The application from Civilian Gallantry Award Winner duly completed in all respects, alongwith the supporting documents shall be received in the office of the Divisional Commissioner, National Capital Territory of Delhi and for others in the office of the RajyaSainik Board, Delhi. After scrutiny, these applications shall be put up to the Managing Committee for sanction. A proper record/register shall be maintained in respect of each case."

6. For rule XI of the said rules, the following shall be substituted namely :-

"The amount so sanctioned by the Managing committee shall be paid to the claimant by cheque. All the cheques shall either be sent by post or given in person to the claimant/awardee. All the cheques disbursed shall be entered in a register which shall be maintained by the Rajya Sainik Board or the concerned District Magistrate Office and periodically put up to the Managing Committee for inspection."

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

P. R. KAUSHIK, Dy. Secy. (Revenue)

Note : The Principal rules were published *vide* notification No. F15/A/RSB/2004(Part)/0442, dated 06/07/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.15 09:36:45 +05'30'